

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
पत्रांक- 1687 / 11-सी-FR/UP/Others/34755/2018, लखनऊ, दिनांक: फरवरी 22, 2019

•सेवा में,

वन संरक्षक,  
मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।

विषय:- जनपद बिजनौर में बिजनौर-हरिद्वार मार्ग कि०मी० 21 की दौंधी पट्टरी पर ग्राम खुड़ाहेसी के खसरा-647 / गाटा संख्या-181 में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, मेरठ द्वारा विकसित किये जा रहे पेट्रोल / डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.078764 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-2250 / 14-10, दिनांक 20.02.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियाँ / अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

- 1- इको क्लास के अनुसार एन०पी०वी० गणना प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु एन०पी०वी० की गणना त्रुटिपूर्ण अंकित की गयी है।
- 2- प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्रांक एफ०न०-11-268 / 2014-एफ०सी०, दिनांक 11.07.2014 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर आख्या / प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है, अतः भारत सरकार के पत्रांक एफ०न०-11-268 / 2014-एफ०सी०, दिनांक 11.07.2014 सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
- 3- प्रस्ताव के साथ संलग्न सी०डी० में प्रस्तावित वनभूमि की के०एम०एल० फाइल त्रुटिपूर्ण अपलोड की गयी।

उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए सशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-1687/11-सी-FR/UP/Others/34755/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बिजनौर।
- 2- श्री संजय नागपाल, विधिवत गठित न्यायवादी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कांपरिशन, लि० मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।